छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा	पंचम सत्र	अंक-10

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर अनौपचारिक उल्लेख किया :-

जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तद्नुसार, आज सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को "राष्ट्रकुल दिवस" पर राष्ट्रकुल देशों ने **"Together We Thrive"** अर्थात् **"साथ रहें एवं आगे बढ़ें"** को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह, राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय "साथ रहें एवं आगे बढ़ें" को मूलमंत्र मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने में अपने मानवीय कर्त्तव्यों के उत्तम निर्वहन का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी को उनके जन्म दिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के घर में ई.डी. की कार्यवाही को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया एवं इस विषय पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि- पहले प्रश्नकाल ले लें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल को बाधित न करें, यह आपके लिये उपयोगी है। आपने मेहनत करके प्रश्न लगाया है। आप जिस विषय को उठाना चाह रहे हैं, वह इस सदन का विषय नहीं है। आप कृपया प्रश्नकाल चलने दें, शून्यकाल में जो भी बात करना चाहें, उसके लिए मैं आपको पूरा अवसर दूंगा।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

4. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, इन्द्रशाह मण्डावी, विक्रम मण्डावी, फूलसिंह राठिया, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में ही बैठ गये।)

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन श्रीमती अनिला भेंड़िया अपने स्थान को छोड़कर गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण स्वमेव निलंबित हो गई हैं।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

5. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 03, 05,

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री इन्द्र साव, भोलाराम साहू, ब्यास कश्यप, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री रामकुमार यादव

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

(सदन की कार्यवाही 11.36 बजे स्थगित की जाकर 11.50 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

7. पृच्छा

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चंद्राकर एवं सुनील सोनी, सदस्य ने विचार व्यक्त किये।

8. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या- 07 (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 01, 02, 04, 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री बघेल लखेश्वर, विक्रम मण्डावी, डॉ. चरणदास महंत, श्री भोलाराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

9. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

10. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

पटल पर रखा।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य अनुपस्थित (सूचना प्रस्तुत नहीं।)

(2) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य ने रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल की समस्या की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा इस पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने दिये।

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्री उमेश पटेल

(3) श्री मोतीलाल साहू

(4) श्री इन्द्र साव

(5) श्री द्वारिकाधीश यादव

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सुशांत शुक्ला

(2) सुश्री लता उसेण्डी

(3) श्री रिकेश सेन

(4) श्री दिलीप लहरिया

(5) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

14. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

15. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 39 प्रस्तुत की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों के उपस्थित नहीं होने के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।)

मांगों पर चर्चा हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती गोमती साय, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, राजेश मूणत

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आज की कार्यवाही में अनुपस्थिति एवं उनके द्वारा मुझसे व्यक्तिगत भेंट कर शेष विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। संसदीय परंपराओं के दृष्टिगत मैंने उनका अनुरोध मान्य किया है। आज की कार्यसूची के पद क्रम 05 के उप पदक्रम 2 एवं 3 की अनुदान मांगों की चर्चा आज के स्थान पर कल होगी ।)

अपराह्न 2.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 (फाल्गुन-20, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा